Project Implementation Unit, Guna

(A Govt. Of Madhya Pradesh Undertaking)

House No.59, ward no. 20 near Graphix Institute Patrakar Colony Dist.Guna (M.P.)
Email- gmguna.mpjalnigam@mp.gov.in 07542-350028

क. 2825/ म.प्र.ज.नि.मर्या. / परि.कि.ई. / गुना / 2024

गुना, दिनांक 3 /07/2024

प्रति.

वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल, अशोकनगर, (म.प्र.)

विषय:- राजघाट समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत वन भूमि में पाईप लाईन बिछाने के संबंध में। (FP/MP/WATER/145554/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र क्रमांक 6-एमपीबी 062/2023-बीएचओ/I/74901 दिनांक 18.06.2024

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के कियान्वयन का कार्य प्रगतिरत है उक्त योजनांतर्गत पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। जिस संबंध में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त प्रकरण में स्टेज—I की अनुमित जारी की गई है, पत्र में उल्लेखित नियम एवं शर्तों का पालन हेतु इस कार्यालय द्वारा सहमित दी जाती है जो कि निम्नानुसार है।

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

S.N.	Conditions	Compliance
1	Cost of compensatory afforestation on the CA land 3.890 ha (out of 8.466 ha) non-forest land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the state Forest Department by the project authotity. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	Cost of compensatory afforestation on the CA land 3.890 ha (out of 8.466 ha) non-forest land, in reference to demand note issued by forest department via letter no. 2918 dated 28.06.2024 of Rs. 94,46,296/- in which NPV amount is 37,20,975/- is included, the same is deposited by this office in favour of forest department Madhya Pradesh CAMPA Head through RTGS UTR NO. SBIN52024071036059194 Dated 16.07.2024. This office is agreed to pay anticipated cost increase.
2	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	Non-forest land is transferred and mutated in favour of State Forest Department, Document of the same is attached.
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. A copy of PF/RF notification may be submitted in Stage-I compliance report.	Related to Forest Department.
4	The State Government shall be charge Net Present Value (NPV) for the 3.885 ha forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per orders of the hon'ble Supreme Court of India Dated 30/10/2002,01/08/2003,28/03/2008,24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (c) No.202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PtII) dated 18/09/2023, as well as letter No. 5-2 2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	The State Government has charged NPV for the 3.885 ha via letter no. 2918 dated 28.06.2024 of amount 37,20,975/- which is deposited in favour of Forest Department in Madhya Pradesh CAMPA Head via RTGŞ UTR No. SBIN52024071036059194 Dated 16.07.2024.

(Abhi) D Drive - Office general Letter 2023

Project Implementation Unit, Guna

(A Govt. Of Madhya Pradesh Undertaking)

House No.59, ward no. 20 near Graphix Institute Patrakar Colony Dist.Guna (M.P.)

Email- gmguna.mpjalnigam@mp.gov.in 07542-350028

5	All the funds recieved from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Agreed & Paid in favour of CAMPA fund.		
6	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA certificate from the concerned District Collector is attached.		
7	Stage I approval is given with the intention that work can be started only after the proposal under the provision of FCA, 1980 submitted for construction of other components of the project is also approved.	Agreed.		
8	DFO shall ensure that no other forest land is utilized for non forestry purpose during the implementation of this project other than that approved in this project.	Related to Forest Department.		
9	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	Undertaking of "no muck disposed off in forest land" is attached.		
10	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to stage-II approval.	Related to Forest Department.		
11	violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the Handbook of comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	Accepted.		
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Done.		

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to stage-II approval;

S.N.	Conditions	Compliance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed.
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.885 ha (out of 8.466 ha) non-forest land, Survey No. 536 & 538, Village- Baghnari, Teshsil- Isagarh, District- Ashoknagar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.	Related to Forest Department.
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	An undertaking for the same is attached
4	The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 923 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	Agreed.

(Abhi) D Drive - Office general Letter 2023

Project Implementation Unit, Guna

(A Govt. Of Madhya Pradesh Undertaking)

House No.59, ward no. 20 near Graphix Institute Patrakar Colony Dist.Guna (M.P.) Email- gmguna.mpjalnigam@mp.gov.in 07542-350028

5	The State Government and user agency shall comply with the provisions of all the Acts. Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	Agreed.
6	The Pipeline shall be laid 1.5 meter below ground and after laying of pipe line the ground shall be properly leveled.	Agreed.
7	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, if applicable.	Agreed.
8	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Related to Forest Department.
9	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	Agreed.
10	No labour camp shall be established on the forest land.	Agreed.
11	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	Agreed.
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	Agreed.
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Agreed.
14	The forest land proposal to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.	Agreed.
15	Compliance of AIP in proposal no. FP/MP/IRRIG/532/2003 for construction of Rajghat canal accorded on 31.07.2007, shall be submitted.	Related to Forest Department.
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed.

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई. गुना (म.प्र.) दिनांकः 3 / 7 / 2024

पृ.क. 2826/म.प्र.ज.नि.मर्या. / प.क्रि.ई. / गुना / प्रतिलिपः –

- 1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. मुख्य महाप्रबंधक (ग्वालियर जोन), म.प्र. जल निगम मर्यादित, भोपाल की ओर सादर सूचनाथ प्रेषित।
- 3. टीम लीडर, एस.क्यू.सी., वॉप्कोस लिमिटेड गुना की ओर सूचनार्थ।
- 4. परियोजना निदेशक, मैंसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई. गुना (म.प्र.)

Project Implementation Unit, Guna

(A Govt. Of Madhya Pradesh Undertaking)
House No.59, ward no. 20 near Graphix Institute Patrakar Colony Dist.Guna (M.P.)
Email- gmguna.mpjalnigam@mp.gov.in 07542-350028

Undertaking

Annexure-1

I Satyendra Singh Yadav in capacity of General Manager MP Jal Nigam Maryadit PIU Guna, on behalf of MP Jal Nigam Maryadit do hereby undertake that MP Jal Nigam Maryadit Will pay additional amount of the NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee for application no. FP/MP/WATER/145554/2021.

General Manager M.P. Jal Nigam Maryadit PIU Guna

Project Implementation Unit, Guna
(A Govt. Of Madhya Pradesh Undertaking)

House No.59, ward no. 20 near Graphix Institute Patrakar Colony Dist.Guna (M.P.)

Email- gmguna.mpjalnigam@mp.gov.in 07542-350028

वचनपत्र

में सत्येन्द्रसिंह यादव, महाप्रबंधक, म.प्र जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना वचनबद्व हूं कि वनविभाग में आवेदित प्रकरण क्र FP/MP/WATER/145554/2021 के अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकलेगी उसे पाईप लाईन बिछाने के पश्चात पुनः गड्डे में भर दिया जावेगा एवं जो मिट्टी शेष रह जावेगी, उसे वनविभाग के परिधि के बाहर निपटान कर दिया जावेगा। इस हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता वचनबद्व है।

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई. गुना (म.प्र) कार्यालय कलेक्टर, जनजातीय कार्य विभाग, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

(E-mail ID- dotw.asn@mp.gov.in)

क्रमांक / जन.जा.का.वि. / वन अधि. / 2024—25 / 13 प्रति.

महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित परि. कि. ई. गुना (म.प्र.)

जिला- गुना म.प्र.

विषय :- राजघाट समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत अशोकनगर अंतर्गत जनपद चंदेरी मुंगावली एवं ईसागढ वन भूमि में पाईप लाईन बिछाने हेतु FRA का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजने बावत।

र्भ :- आपका प्रत्र क्रमांक 2063 गुना दिनांक 07.06.2024

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में राजघाट बांध समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें विकासखण्ड ईसागढ अंतर्गत 0.888 हेक्टेयर एवं मुंगावली 1.337 तथा चंदेरी अंतर्गत 1.659 कुल रकवा 3.8848 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग अशूद्ध जल पमिंग मैन उच्च स्तरीय टंकी एप्रोच रोड के कार्य हेतु उपयोग में ली जाना है। उक्त वन क्षेत्रांतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वनाधिकारों की मान्यताअधिनियम 2006 अंतर्गत लाभांबित हितग्राही उक्त कार्य योजना से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार FRA का अनापत्ति प्रमाण—पत्र क्रमांक 1340 अशोकनगर दिनांक 29.07.2024 जारी किया गया है। जो पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- FRA प्रमाण-पत्र

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग अशोकनगर (म.प्र.) अशोकनगर, दिनांक—30-7-2014

पृ.क्रमांक / जन.जा.का.वि. / वन अधि / 2024–25 / 1342 प्रतिलिपि:-

. कलेक्टर महोदय, जिला अशोकनगर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर एवं र्ट्रप्रभारी जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग अशोकनगर (म.प्र.)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector District Ashok Nagar (M.P.)

No. 1340

Dated: 29

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India letter NO. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.8848 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of MP Jal Nigam Guna for Pipe Laying, Over Head Tank, Approach Road work under Rajghat Multi Village Scheme in Guna& Ashoknagar district falls within jurisdiction of following villages & Compartment no's in Bahadurpur, Piprai, Isagarh, Chanderi Tehsil. (Case no. 145554)

S.N.	Compartment No.	Block	Village	Total Area Required (Hac.)
1	PF-201	Chanderi	Chanderi	0.0563
2	PF-200	Chanderi	Chanderi	0.0585
3	PF-189	Chanderi	Halanpur	0.3600
4	RF-120	Chanderi	Chanderi	0.0818
5	RF-135	Chanderi	. Nanakpur	0.0788
6	RF-136	Chanderi	Nanakpur	0.2475
7	U-221	Chanderi	Nanakpur	0.0203
8	U-222	Chanderi	Nanakpur	0.0450
9	PF-184	Chanderi	Nawani	0.0345
10	RF-175	Chanderi	Singhpur Chadla	0.0630
11	PF-180	Chanderi	Arron	0.0570
12	PF-191	Chanderi	Nayakheda	0.1938
13	RF-120	Chanderi	Chanderi	0.2400
14	RF-120	Chanderi	Chanderi	0.1800
15	PF-286	Mungaoli	Fuledi	0.1600

PF-287 PF-286	Mungaoli Mungaoli	Bajra Chakk Patan	0.4800	
PF-286	Mungaoli	Patan	0.4800	
RF-53	Isagarh	Maholi	0.4326	
RF-34*	Isagarh	Shankarpur	0.4562	
	RF-53 RF-34		RF-34 Isagarh Shankarpur	RF-34 Isagarh Shankarpur 0.4562

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.8848 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabah(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3 annexure.

 :- Done Attached
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
 :- Not Applicable
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities.:- No

Encl: As above

(Subhash Kumar Dwivedi) Collector

Section of the Control of the Control

District Ashoknagar (M.P.)

कार्यालय, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला अशोकनगर, (म.प्र.)

(E-mail ID- dotw.asn@mp.gov.in)

क्रमांक / जन.जा.का.वि. / वन / 2024-25 12 39

अशोकनगर, दिनांक-29-7-202

- विषय:- राजघाट, समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वनभूमि में भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में आवेदित क्षेत्र में वनाधिकारों के विनिश्चय बावत्। (प्रकरण क्र.145554)
- संदर्भ :- 1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुविभाग चंदेरी के पत्र क्रमांक 1119 दि. 19.07.2024
 - 2. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुविभाग मुंगावली के पत्र क्र. 231 दि. 23.07.2024
 - 3. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुविभाग ईसागढ के पत्र क्रमांक 385 दि. 22.07.2024

- 000 -

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परि. कि. ई. गुना म.प्र. का पत्र कमांक 2436 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा राजघाट समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि रकवा 3.8848 हेक्टेयर उपयोग में ली जाने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड मुंगावली के पत्र क्रमांक 231 दिनांक 23.07.2024 द्वारा रकवा 1.337 हेक्टेयर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति ईसागढ के पत्र क्रमांक 385 दिनांक 22.07.2024 रकवा 0.888 हेक्टेयर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति चंदेरी के पत्र क्रमांक 1119 दिनांक 19.07.2024 रकवा 1.659 हेक्टेयर द्वारा पारित विनिश्चय में उल्लेख है। कि राजधाट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने, उच्चस्तरीय पानी कि टंकी एवं पहुच मार्ग (एपरोच रोड) बनाने हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही वन विभाग मे प्रचलित है। वन विभाग द्वारा उक्त भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाणीकरण चाहा गया हैं कि उक्त राजधाट समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने उच्चस्तरीय पानी कि टंकी एवं पहुच मार्ग (एपरोच रोड) बनाने हेतु ग्रामों की सूची निम्नानुसार विकासखण्ड मुंगावली, ईसागढ़, चंदेरी के प्रकरण क्रमांक 145554 में 3.8848 हेक्टेयर वन भूमि संबंधित ग्रामों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं।

क्र.	कंपार्टमेंट नं.	ब्लॉक	पंचायत	ग्राम	हैक्टेयर
1	PF-201	चंदेरी	चंदेश	चंदेरी	0.0563
2	PF-200	चंदेरी	चंदेरी	चंदेरी	0.0585
3	PF-189	चंदेरी	नयाखेडा	हलनपुर	0.3600
4	RF-120	चंदेरी	चंदेरी	चंदेरी	0.0818
5	RF-135	चंदेरी	नानकपुर	नानकपुर	0.0788
6	RF-136	चंदेरी	नानकपुर	नानकपुर	0.2475
7	U-221	चंदेरी	नानकपुर	नानकपुर	0.0203
8	U-222	चंदेरी	नानकपुर	नानकपुर	0.0450
9	PF-184	चंदेरी	नवनी	नवनी	0.0345

20	RF-175	चंदेरी	सिंहपुर चाडला	सिंहपुर चाडला	0.0630
11	PF-180	चंदेरी	अरौन	अरौन	0.0570 0.1938 0.2400 0.1800
12	PF-191 ·	. चंदेरी	नयाखेडा	नयाखेडा	
13	RF-120	चंदेरी	चंदेरी	चंदेरी	
14	RF-120	चंदेरी	चंदेरी	चंदेरी	
15	PF-286	मुंगावली	पाटन	फुलेदी	0.1600
16	PF-287	मुंगावली	रूसल्ला	रूसल्ला	0.1600
17	PF-287	मुंगावली	रूसल्ला	वंजारा चक	. 0.4800
18	PF-286	मुंगावली	पाटन	पाटन	0.4800
19	RF-53	ईसागढ़	महौली	महौली	0.4326
20	RF-34	ईसागढ़	शंकरपुर	शंकरपुर	0.4562
	•		कुल		3.8848

उक्त संबंध में उक्त ग्रामों के प्राप्त दावों का परीक्षण किया गया एवं संबंधित ग्राम सभाओं तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति अशोकनगर से प्रमाणीकरण लिया गया। परीक्षण में पाया गया कि उक्त राजघाट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईनबिछाने उच्चस्तरीय पानी कि टंकी एवं पहुच मार्ग (एपरोच रोड) बनाने हेतु आवेदित क्षेत्र पर कोई दावा वनाधिकार के तहत अनिर्णित या लंबित नहीं है।

अतः उक्त योजना के क्रियान्वयन में प्रभावित वनभूमि रकवा 3.885 हेक्टेयर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अंतर्गत किसी भी लाभांवित हितग्राही की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। FRA का अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने

की अनुशंसा की जाती है।

जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग, जिला– अशोकनगर म.प्र.

वनमण्डलधिकारी सामान्य वनमण्डल अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र. कलेक्टर, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर (म०प्र०)

प्रकरण कमांक /272/31-20(3)/ 2022 -23

//आदेश// (दिनांक/2/06/2023 को पारित)

कार्यालय वनमण्डाधिकारी सामान्य वन मण्डल जिला अशोकनगर द्वारा, राजधाट जलजीवन मिशन में वन विभाग की भूमि जाने से उसके बदले में वन विभाग को भूमि हस्तांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश कर, आवेदन पत्र में पटवारी हल्का बल्देवपुर, ग्राम बधनरी रिथत राजस्व भूमि सर्वे न, 536 रकवा 3.240 है0, 538 रकवा 5.226 है0 कुल किता 02 रकवा 8.466 है0 भूमि वन विभाग को हरतांतरित किये की मांग की गई है।

पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिनॉक 26.04.2023 से ग्राम बघनरी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 नोईयत पठार भूमि को वन विभाग के निये हरतांतरित की जाने की अनुशंसा की गई है।

तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनॉक 28.04.2023 में उल्लेख किया है कि, ग्राम बघनरी रिथत शासकीय भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 नोईयत पठार भूमि को वन विभाग के लिये हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम की निरतार भूमि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा, भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई है

अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनॉक 09.06.2023 में प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम बघनरी स्थित भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 नोईयत पठार भूमि को वन विभाग के लिये हस्तांतरण बावत विधिवत ऑनलाईन विद्यप्ति जारी कर, स्थानीय समाचार पत्रों में विद्यप्ति का प्रकाशन कराया गया, अन्दर म्याद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम बघनरी स्थित भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 नोईयत पठार भूमि को वन विभाग के लिये हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है।

तहसीलदार ईसागढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। राजघाट जल जीवन मिशन में वन विभाग की भूमि जाने से उसके बदले में वन विभाग को भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 कुल किता 02 रकवा 8.466 है0 नोईयत पठाए को, वन विभाग (म0प्र0 शासन) को हस्तांतरित किये जाने हेतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा सहमिति दी गई है। उपरोक्त भूमि म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की धारा 233 एवं 237 के प्रावधान अनुसार भूमि का वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। वन विभाग द्वारा आवेदित भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये किया जायेगा। उक्त भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन किया जायेगा, अन्यथा की रिशति में आवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अतः यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण आरसीएगएस एवं दायरा अंक से कम होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

ल जिला अशोकनगर (म.प्र.)

अशोकनगर दिनॉक 12 /06 / 202

पृष्ठा,प्रकरण कमांक /272 /उन-२०३३/ २०२२-२३ प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख सचिव महोदय, म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2. आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

4. अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ।

5. तहरीलिदार तहसील ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ, पटवारी अभिलेख में अमल कराकर खसरा प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

6. नजूल शाखा जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर श्री जिला अशोकनगर (म.प्र.)



CLR No.: 11123112136

प्राप्तः वयन्त्री

中有 4 表

अस्याम् स्टांम अस्याम्



MAGGA		प्रविष्टियाँ में		022-23, ਯੀਕ
	Section 1	ा. भूमें के मिंगुंडू संग्री प्रास्थिति 2. भूमें पर संख्या दिस 3. अन्य अभियोकियाँ 4. वर्ष के दौरान कांट्स संख्या (1) से (9) तक में प्रविश्यों में हुबार के अदेग	1.5	न्यायाल य कलेक्टर के प्रकरण क. 0272 34-20(3)/2022-23, अदेश दि. 1 20 5/2023 के अनुसार मू-अ भिलेंड अधातित
2110	7	भीक	11	
020	Con astonam	प्तसन्त के ब्योर्	10	
અમિલેલ ઉણ) પૂ-અમિલેલ) તિવન, 2	प्रभाष क्या प्रमाणक (मियम ६ टेविंस्) मध्यप्रदेश फू-शवस्य सहिता (फू-सर्वेक्षण तथा फू-अमिलेख) निवन, 2020 तस्त्रीतः इंसणद	भूमे पर विञ्जाम तथा प्रभार 1. बंधक 3. पुर्वाचित्र प्रक्रियाधीन	0	
मध्यप्रदेश कन्पूरशैकृत भू-अभिलेख खसारा प्रस्प एक (मियम ६ शेक्क्) ब सहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिले		गीरथी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पिता/पिता का नाम तथा निवास का पता	8	
मध्यप्रदेश अस्य श्राजस्य सहिता		1, सरकारी पहुंदार का नाम, उसकी माता/पिवा/पाति का नाम तथा निवास का पता 2. पहुं की अवधि 3. पहुं के	7	
प्रदेश प्र		अन जैसे मुख्य	9	-
भ स्त्रप्रदेश	क्टेब्युर	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी भाता गिरता / पति का नाम तथा निदास का पता 2. शासकीय भूमि	5	(शासकीय) वन विभाग मह्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था
9	पटवारी हत्काः बल्देवपुर	1. सेयस्क (स्वटेचर्यम् मिटर मे) उपयान विधानम् विधानम् विधानम् विधानम् विधानम् विधानम् विधानम् विधानस्य	4	3.2400 हेक्टेयर पठार 3.2400
23112136		स्टाब संस्थाक संस्थाक की की द्वाम में)	8	
N N				The second secon

€.0.00

82RM0 PDAUN EYH0

(1)

536

9283

136406

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECCHOS MADHYA PRADESH 1 Date; 2021,08,10 13:06;06 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No.: 11123112136



ाध्यप्रदेश कम्पानुस्तीकृत भूअभिनेख स्वराहा

स्तारी प्रकार एक (नियम ६ देखिए) महमप्रदेश पू-राजस्य सहिता (भू-सबेंडाण वधा पू-अपिछेख) नियम, 2020

CLR No. , 11123112198

-	T	Treatment (see as)		1				\neg
The state of the s	ant: 2024-2025	1. पूनि के ज़ियाई संबंधी प्राहियति 2. पूनि पर सरवना /तुस	5. अन्य आ मुशाम में 4. वर्ष के दौराने मेंटिन संख्या (1) से (9) तक में प्रतिष्टियों में सुधार के आदेश		12	न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क. 0272/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 12/06/2023 के अनुसार मू-अभिलेख अदातित		
A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONT			फ्सर के अधीन क्षेत्रफर	* .	11			
Salar Salar Salar	जिल्हाः अभीकनम्	फसठ के ब्यार	1. खरीक 2. खे	अ. जन्म 4. अत्य	10			
And the second section of the second section is a second second	तहसीट्यः ईसागड	भूमि पर विद्धाम तथा प्रभार 1. संस्क	2. दृष्टिक्षयक 3. प्-अर्जन प्रक्रियाधीन	٠,	O			
Contraction of the contraction o		मीरुषी कावक (यदि कोई हो) हा नाम	माता/पेता/पेता/पेता/पेता/पेता/पेता/पेता/प	ů	œ			
And the second second second		1. सरकारी पहेदार का	माता/पेता/पोत सम्मा माता/पेता/पोत सम्मा निवास का पता का नाम तथा 2. पहे की निवास का पता	अविध 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	7			
		提供	E E E		9	-		
The second section is the second seco	बन्देवपुर	1. पुनिस्वानी का नाम, उसकी माता /ऐता / पति का नाम तथा निवास का	रता 2. शासकीय भूमि		D.	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन	शासकाय संस्था	
And a series and a series of the series of t	पटवारी हलकाः बल्देवपुर	1. शेवफड (हेक्ट्रेयएवर्ग हैन-से)		3.4. 3.4. 13.44. 13.44. 13.44. 14.05. 15.05.	4	5.2260 हेक्टेयर	पठार 5.2260	ক.০.০০
		it.	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		ю			
	d :	4000	(Athri (Athri	٠.	2	538 (S)		
Park distancement in the	। ग्रामः कथनरी	安年	\$\$		1	136463	82RNL1 DAUPR	ОНО

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2024 08.10 13:06:09 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No.: 11123112198